सं० 470/43-2-09

प्रेषक,

संख्या–371 /43–2–2009

के0के0 सिन्हा,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव/~~सचिव~~
उत्तर प्रदेश शासन।

प्रशासनिक सुधार अनुभाग–2

लखनऊ:: दिनांक:: 17 मार्च, 2009

विषयः **सूचना का अधिकार अधिनियम , 2005 के अंतर्गत विभागों में प्रत्येक माह में लम्बित/निस्तारित आवेदन पत्रों की स्थिति की सूचना प्राप्त करने विषयक।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया प्रमुख सचिव, प्रशासनिक सुधार विभाग के पत्र संख्या–914/43–2–2008–15/2(7)/07 टीसी, दिनांक 31 जुलाई, 2008 तथा मुख्य सचिव के अर्द्धशासकीय पत्रसंख्या–1231/43–2–2008, दिनांक 01 दिसम्बर, 2008 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2– उपर्युक्त पत्रों द्वारा यह निर्देश दिया गया था कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत प्रत्येक माह में लम्बित/निस्तारित आवेदन पत्रों की स्थिति की समीक्षा करते हुए निर्धारित प्रारूप में सूचना प्रत्येक माह की 10 तारीख तक प्रशासनिक सुधार विभाग को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायी जाय। माह जनवरी, 2009 तक प्राप्त सूचनाओं की समीक्षा करने के उपरान्त यह पाया गया कि संलग्न सूची में उल्लिखित विभागों को छोडकर अन्य विभागों द्वारा नियमित रूप से सूचना उपलब्ध नहीं करायी जा रही है। इससे यह स्पष्ट होता है कि आपके विभाग के जनसूचना अधिकारियों द्वारा इसे गम्भीरता से नहीं लिया जा रहा है।

5/P-9/09

अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया अपने विभाग में सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत प्राप्त, लम्बित एवं निस्तारित आवेदन पत्रों की स्थिति की समीक्षा करते हुए प्रत्येक माह की 10 तारीख तक संकलित सूचना निर्धारित प्रारूप में प्रशासनिक सुधार विभाग को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराने हेतु किसी अधिकारी को नामित करने का कष्ट करें।

... 5-P-5/09

(के0के0 सिन्हा)
प्रमुख सचिव।